REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 9 | JUNE - 2023

भारतीय संविधान और सामाजिक न्यायः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रणव भारती
शोधप्रज्ञ, राजनीति विज्ञान विभाग, टी०एम०बी०यू०, भागलपुर।

शोध आलेख का सारः

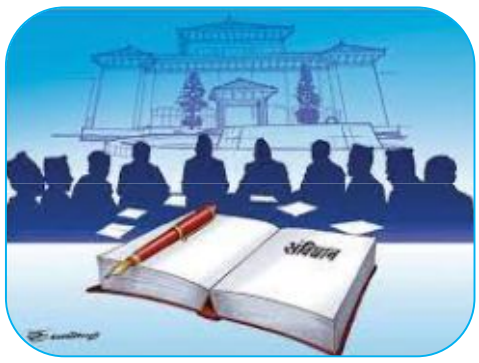

प्रस्तुत शोध आलेख भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उसमें सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे को संविधान में शामिल करना था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में व्यापक रूप में सामाजिक असमानता व्याप्त थी। जिसकी समाप्ति के लिए भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान भी प्रयास हुए। इसके साथ ही बहुत से दलित उद्धारक नेता और समाज सुधारकों के द्वारा भी प्रयास किये गये, परन्तु इससे कोई साकारात्मक बदलाव समाज में नहीं आया, जो देश और राष्ट्र हित में सही नहीं था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसका समाधान भारतीय संविधान में ही ढूंढ़ने का प्रयास किया और संविधान के कई अनुच्छेदों व भागों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से संबंधित पहलुओं को शामिल किया, जिससे सामाजिक समानता की स्थापना की जा सके। जहाँ तक सामाजिक न्याय का प्रश्न है, तो सामाजिक न्याय एक ऐसी समाजिक व्यवस्था की वकालत करता है, जिसमें धर्म, लिंग, रंग, वंश, जाति, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव न हो। सामाजिक न्याय सामाजिक समानता पर आधारित व्यवस्था का नाम है।

मूल शब्दः भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, असमानता, लोककल्याणकारी राज्य।

प्रस्तावनाः

न्याय को अंग्रेजी भाषा में 'JUSTICE' कहते हैं जो लेटिन भाषा के जस (JUS) शब्द से बना है जिसका अर्थ है- बंधन अथवा बांधना। इसका अभिप्राय यह है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक, आर्थिक व कानूनी आधार पर संबंधित है। आधुनिक अर्थ में न्याय का अर्थ है- वह व्यवस्था जो व्यक्तिगत अधिकारों का सामाजिक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित करे। साधारण शब्दों में न्याय उचित व्यवस्था स्थापित करना है। न्याय की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी सभ्यता और समाज। न्याय की उपस्थिति के बिना वैध समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता है। यह किसी भी राष्ट्र के विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। न्याय के चार पक्ष या रूप होते हैं- कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय। न्याय के सामाजिक पक्ष का अर्थ है- सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक प्राचीन अवधारणा है। कौटिल्य ने अपनी रचना 'अर्थशास्त्र' में सामाजिक न्याय की बात कही है। आधुनिक समय में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर अधिक बल दिया गया है। यह लोकतंत्र का

आधार है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि एक ऐसे सामाज का निमार्ण किया जाए, जो समानता पर आधारित है, जिसमें धर्म, लिंग, रंग, वंश, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सामजिक न्याय सामाजिक व्यवस्था में सुधार, सामाजिक सामानता की स्थापना, विशेष अधिकारों की समाप्ति, शोषन की समाप्ति तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर विशेष बल देता है।

सामाजिक न्याय का सामान्य अर्थ कि सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए, स्त्री-पुरूष, गोरे-काले, जाति-धर्म आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को बड़ा-छोटा या ऊँचा-नीचा नहीं माना जाए। शिक्षा व उन्नति के अवसर सब लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। सभी मनुष्य के नाते मिल-जुल कर कला-साहित्य, संस्कृति व तकनीक साधनों का उपयोग कर सकें। 'सामाजिक न्याय' का विचार निर्बल व निर्धन पक्ष को विशेष सहायता व संरक्षण दिए जाने की वकालत करता है। विस्तृत अर्थ में 'सामाजिक न्याय' का अर्थ है कि संगठित सामाजिक जीवन में जो भी लाभ प्राप्त होते हैं, वे कुछ चुनिन्दा लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाएं, बल्कि आम आदमी को, विशेषकर निर्बल व निर्धन वर्गों को उनमें समुचित हिस्सा मिले, ताकि वे खुशहाल व सम्मानित जीवन निश्चिं तहोकर गुजर-बसर कर सके। यह राज्य द्वारा सकारात्मक भूमिका की मांग करता है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था की खातिर राज्य लोककल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों का अवलंबन करता है। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाओं का व्यापक जाल बिछा दिया जाता है। राज्य कई तरह के कायदे-कानून बनाकर लोगों व संस्थाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई और कुछ ही दिन पश्चात् 13 दिसम्बर 1946 को देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ। इस संकल्प द्वारा संविधान सभा के लक्ष्य और प्रयोजन निश्चित किए गए। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवम्बर, 1949 को इसे आंशिक रूप से पारित किया गया और 26 जनवरी, 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से एक उद्देशिका, 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूची थी। परन्तु वर्तमान में इसका स्वरूप और विशाल हो गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान में संशोधन हेतु अबतक 127 प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें 105 संशोधन किया गया है। संविधान के प्रत्येक उपबंधों का अपना एक अलग महत्व है। इसके उद्देशिका में ही अन्य बातों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर भी जोर दिया गया है। उद्देशिका में जनता की भावनाएं और आकांक्षाए सूक्ष्म रूप में समाविष्ट हैं। संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए यह एक कुँजी है। इसमें उन उद्देश्यों का कथन है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। भारतीय सामाजिक न्याय के प्रणेता डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के द्वारा ही सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना था कि सभी व्यक्तियों को एकता और समानता प्राप्त हो; कमजोर और निचले तबकों को सम्मान मिले; जातिगत भेदभाव का उन्मूलन हो; सभी को शिक्षा और सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त हो तथा सभी नागरिकों की गरिमा की ओर ध्यान दिया जाये।

भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय के लक्ष्य अग्रलिखित हैं- 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआ-छूत को पूर्णत्या समाप्त किया गया है और उसे व्यवहार में लाना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। 2. अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव को समाप्त किया गया है। सरकार का यह कर्तव्य है कि दुकानों, होटलों, सार्वजनिक आरामगृहों, कुओं, तलाबों, सड़कों, मनोरंजन के स्थानों आदि में हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों तथा कबीलों के प्रवेश के लिए कोई अयोग्यता, रूकावट या शर्त है तो इनको दूर किया जाए। 3. अनुच्छेद 16 तथा 335 के अनुसार राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा कबीलों को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें तथा उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित करें। 4. अनुच्छेद 164, 338 तथा संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुसार हरिजनों, पिछड़ी जातियों, और कबीलों के भलाई के लिए राज्यों में पृथक विभाग तथा परामर्शी परिषद और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है जो इन जातियों और कबीलों के हितों की रक्षा करेंगे और उनकी उन्नति की ओर ध्यान देंगे। 5. अनुच्छेद 244 तथा पाँचवीं और छठी अनुसूची के अनुसार कबीलाई क्षेत्र के नियंत्रण

के लिए विशेष प्रबन्ध किया जायेगा। 6. अनुच्छेद 25 के अनुसार हिन्दुओं के सभी धार्मिक स्थान हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों के प्रवेश के लिए खोल दिये गये हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में तीन प्रकार के न्याय उल्लिखित हैं- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का सिद्धान्त अधिकाधिक लोगों की हित को दर्शाता है तथा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय इसका मूलमंत्र है। इसमें दूसरों के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते है। इससे यह भी अभिप्रेत है कि न्यायालय समाज के दुर्बल वर्गों का पक्ष लेते हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त उपबन्धों को लागू किया गया है। इसके लिए छुआछूत (अपराध) अधिनियम, 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 1976 में छुआछूत विरोधी कानून 1955 का नाम बदल दिया गया और अब इसका नाम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1976 रख दिया गया। इस कानून में किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मैला उठवाना या सफाई करवाना या पशुओं की लाश उठवाना या झाड़ू लगवाना दंडनीय अपराध माना गया है। छुआछूत समाप्त करने के लिए देश में 'हरिजन दिवस' और 'हरिजन सप्ताह' मनाने की शुरूआत की। भारत सरकार ने छुआछूत समाप्ति के लिए हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित जाति संघ, भारतीय सेवक संघ, हिन्दू हरिजन सेवक समाज, ईश्वर शरण आश्रम से सहायता ली।

भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य की स्थापना करना था, इस दृष्टि से अधिकांश निदेशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक और सामाजिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। निदेशक सिद्धान्तों का सार तत्व संविधान के अनुच्छेद 38 में दिया गया है। उसमें प्रस्तावना की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करें, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक कार्य-साधक के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नत्ति का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत कई प्रावधान किये गये हैं:- (1) सब नागरिकों के लिए जीवन- निर्वाह के पर्याप्त साधन जुटाना। (2) सार्वजनिक कल्याण के लिए समाज के भौतिक साधनों का समुचित वितरण। (3) सार्वजनिक हित के विरूद्ध धन के सकेन्द्रण को रोकना। (4) समान कार्य के लिए स्त्री-पुरूषों को समान वेतन प्रदान करना। (5) श्रमिकों की शक्ति तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा ऐसी परिस्थितियों का विरोध करना जिनमें नागरिकों को अपनी सामर्थ्य एवं आयु के प्रतिकुल उप-व्यवस्थाओं का अनुसरण करने के लिए विवश होना पड़े। तथा (6) शैशव तथा किशोरावस्था का शोषण तथा नैतिक व भौतिक परित्याग से बचाव। अनुच्छेद 41 काम पाने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और अंगहीन तथा अन्य अन्हर्त अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 राज्य सबकों काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश, लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योग को विशेष रूप से उन्नति करेगा। गाँधी जी ने हमे सामाजिक उत्तरदायित्व के सार तत्व की शिक्षा प्रदान की है। उनकी विचारधारा का प्रभाव भी इन सिद्धांतों में कई स्थानों पर देखा जा सकता है। 42वें संशोधन द्वारा कतिपय नए निदेशक सिद्धान्त भी संविधान में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39 की धारा (एफ) को बदल दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों तथा नवयुवकों को शोषण से बचाना तथा उनके स्वास्थ्य विकास के लिए उपर्युक्त अवसर तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39 के बाद एक नया अनुच्छेद 39 (ए) जोड़ दिया गया है। इसमें समान न्याय दिलाने तथा मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 43 के बाद एक नया अनुच्छेद 43 (बी) जोड़ दिया गया है। इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था है। 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है उसके स्थान पर वैकल्पिक अनुच्छेद के अनुसार चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रावधान करना राज्य का दायित्व हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार राजनीतिक न्याय की प्रत्याभूति है। राजनीतिक न्याय देने के लिए संविधान में सभी नागरिकों को मताधिकार दिया गया है। केवल ऐसे नागरिकों को ही इस अधिकार से वंचित किया गया है जो विधि या आयु के कारण वर्जित हैं। 18 वर्ष से कम या ऐसे व्यक्ति जो पागल या दोषसिद्ध हैं।

संविधान का यह भाग-IV केवल नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि इन्हें कार्य रूप देने का राज्य के द्वारा लगातार प्रयास किया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं, 20 सूत्री कार्यक्रम, प्रिविपर्स की समाप्ति, बैंको का राष्ट्रीयकरण, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना,

जनवितरण प्रणाली, पंचायती राज, मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्वला योजना, शिक्षा का अधिकार योजना, खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार, जनधन-खाता, आयुष्मान योजना इत्यादि इसके उदाहरण है। स्थूल रूप से, भारतीय संविधान में राज्य के लिए जो सामाजिक-आर्थिक आदर्श है, उसका स्वरूप लोककल्याणकारी है। राज्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील भी रहा है।

शोध का उद्देश्यः

प्रस्तावित शोध आलेख "भारतीय संविधान और सामाजिक न्यायः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगाः

- सामाजिक न्याय के सामान्य अर्थ को स्पष्ट करना। इसके साथ ही न्याय के अन्य आयामों आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी को भी स्पष्ट करना है।
- भारतीय संविधान द्वारा घोषित सामाजवादी गाँधीवादी आर्दशों के अनुरूप सामाजिक न्याय के लक्ष्यों, शासन द्वारा चलाए जा रहे लोककल्याणकारी कार्यक्रमों एवं बनाए जा रहे नीतियों का अध्ययन करना।
- वर्ष 1991 के बाद उदारीकरण के प्रभाव में सामाजिक न्याय संबंधित योजनाओं का अध्ययन करना।
- सामाजिक न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना के मार्ग में भूमण्डलीकरण की नीतियाँ क्या बाधक बन रही हैं? इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल करना इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य है।

शोध परिकल्पनाः

- भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों, भागों एवं अनुसूचियों में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विषेष उपबंध किये गये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों के बाद भी सामाज में अनेक प्रकार की सामाजिक असमानता विद्यमान है।
- भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में अभी भी सामाजिक स्तर पर भेदभाव विद्यमान है, ऐसे में समानता स्थापित करने वाले कल्याणकारी योजनाओं में कमी करना, सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा बन सकती है।
- भारत एक समाजवादी राज्य है, ऐसे में शासन के द्वारा लोगों को दरिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी, कुपोषण के कुचक्र से बचाने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, अन्यथा देश के लिए विनाशकारी साबित होगा।
- भूमण्डलीकरण और सामाजिक न्याय का विचार एक-दूसरे की विपरीत अवधारणा है, ऐसे में दोनों के बीच तालमेल बैठाकर शासन के द्वारा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाना बहुत ही कठिन है।

अध्ययन की पद्धतिः

प्रस्तुत शोध की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, व्यावहारिक एवं विश्लेषणात्मक है। इसके अतिरिक्त शोध कार्य की आवश्यकता अनुरूप तुलनात्मक पद्धति का भी सहारा लिया गया है। प्रस्तुत शोध की अध्ययन पद्धति में विश्लेषण हेतु इतिहास से आधारभूत सामग्री प्राप्त किया गया है। यह शोध आलेख द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। इस शोध कार्य हेतु भारत सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों के अभिलेखों, राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पुस्तकालयों के पाण्डुलिपियों, इन्टरनेट एवं शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध, सामाचार पत्र-पत्रिकाएँ एवं अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया गया है।

निष्कर्षः

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग निवास करते हैं। जिनके विच अनेक प्रकार की सामाजिक असमानता व्यवहारिक तौर पर देखने को मिलती है। इन असमानताओं के समाधान हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं और देश के शासकों ने अनेक प्रयास किये हैं, परन्तु आज भी समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक कुरितियाँ, दरिद्रता, भूखमरी, कूपोषण इत्यादि विद्यमान हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में निरन्तर प्रयास जारी रहे, ताकि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को विभिन्न माध्यमों से एक निश्चित मापदंड तक पहुँचाया जा सके।

सन्दर्भः

- राव, सी०एच० हनुमंथा एंड हंस लिन्नेमन (1996), इकनॉमिक रिफोर्म्स एंड पावर्टी एलिविएशन इन इंडिया, सेज, दिल्ली ।
- राजू, सी०बी० (2007), सोसल जस्टिस एण्ड कन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सीरियल पब्लिकेशन, न्यू देलही ।
- बसु, डी०डी० (1997), भारत का संविधान: एक परिचय, प्रिन्सटन हाल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
- पांडेय, जय नारायण (2017), भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।
- जे0 बी0, राघवेन्द्र राव (2008), "ग्लोब्लाइजेशन, दलित और सामाजिक न्याय", रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- गेल, ऑम्वेट (2011), अन्डरस्टैडिं गकास्टः फ्रॉम बुद्धा टू अम्बेडकर एण्ड बियन्ड, ओरिएन्ट ब्लैकस्वान ।
- गुप्ता, दिपांकर (2000) इन्ट्रोगेटिं गकास्टः अन्डरस्टैडिं गहेरारकी एण्ड डिफरेन्स इन इंडियन सोसायटी, पेन्गयून बुक इंडिया ।
- कृष्ण अय्यर, बी0 आर0 (2008), "सोशल जस्टिस", सनसेट पब्लिकेशंस, लालबाग लखनऊ।
- आर0, सुशीला, (1990), "लिबर्टी, इक्वलिटी एण्ड सोशल जस्टिस रॉल्स पोलिटिकल थ्योरी", अजन्ता पब्लिकेशन, नई दिल्ली।